

न्यायालय :- सदस्य, द्वि० अति० मो० दु० दावा अधि० बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

**मो०दु०दा० क्र.-89 / 2015**

संस्थित दिनांक -29.07.2015

फायलिंग नम्बर-एम.ए.सी.सी. / 228 / 2017

- 1- श्यामलाल पिता भादूसिंह इनवाती उम्र 45 वर्ष
  - 2- श्रीमती सरलाबाई पति श्यामलाल उम्र 40 वर्ष
  - 3- प्रमोद कुमार इनवाती पिता श्यामलाल उम्र 22 वर्ष
  - 4- चुनेन्द्र कुमार इनवाती वली पिता श्यामलाल उम्र 17 वर्ष अवयस्क
- सभी निवासी-ग्राम खुरमुड़ी थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट

— — — — आवेदकगण

— / / विरुद्ध / / —

1. नरेन्द्र कुमार उईके पिता श्री चैनसिंह उईके {वाहन चालक}  
ग्राम खुरमुड़ी थाना बैहर तह. बैहर जिला बालाघाट
2. अनिल कुमार पिता चैनसिंह {वाहन स्वामी}  
निवासी ग्राम खुरमुड़ी थाना बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
3. शाखा प्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड {बीमा कंपनी}  
शाखा कार्यालय-खंडलेवाल बिल्डिंग प्रथम मंजिल  
स्टेशन रोड़ बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट

— — — — अनावेदकगण

=====

आवेदकगण द्वारा श्री जे.एल. अंगारे अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 1, 2 द्वारा श्री राजकुमार चौधरी अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सुभाष शुक्ला अधिवक्ता।

=====

— / / / अधिनिर्णय / / / —

(आज दिनांक 09 अक्टूबर 2017 को पारित)

1. आवेदकगण ने प्रशांत की मृत्यु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा घटना दिनांक 20.06.2015 को 09:00 बजे वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 को लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर खुरमुड़ी तिराहे के पास लोकमार्ग पर टक्कर मारकर उपहति कारित किए जाने से हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाने के आधार पर पेश की है।

2. मूल आवेदन पत्र का सार यह है कि घटना दिनांक 20.06.2015 को मृतक प्रशांत सुबह 9:00 बजे अपने घर से खुरमुंडी चौक जा रहा था तभी तिराहा के पास अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर रिवर्स करते समय प्रशांत को दुर्घटनाग्रस्त किया जिससे मृतक के सिर, मस्तिष्क, शरीर के अंदरूनी भागों में गंभीर चोट आयी, खून निकलने लगा, तत्काल बैहर लाते समय रास्ते में हर्राभाउ के पास उसकी मृत्यु हो गई। मृतक प्रशांत 19 वर्षीय स्वस्थ शरीर का होकर ठेकेदार के पास सुपरवाईजर का कार्य कर 8,000/-रु. प्रतिमाह अर्जित करता। आवेदक क्रमांक 1, 2 माता-पिता एवं आवेदक क्रमांक 3, 4 भाई है। मृतिक की मृत्यु असमय हो जाने के कारण असहाय हो गये है, पालन-पोषण की स्थिति गंभीर हो गई है। अनावेदक पर धारा 304 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध हुआ है, गिरफ्तार हुआ है। अपराध क्रमांक 81/2015 दर्ज हुआ है।

3. मृतक प्रशांत उम्र 19 वर्ष की असमय मृत्यु हो जाने से आवेदकगण को भविष्य की आय की क्षति 14,00,000/-रु., शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 2,00,000/-रु., अंतिम संस्कार के व्यय 100,000/-रु., आवेदक क्रमांक 1, 2 को पुत्र सुख एवं 3 व 4 भाई सुख से वंचित होने के मद में 20,0000/-रु. कुल 19,00,000/-रु. अनावेदकगण से दिलाए जाने की याचना की है और 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज साथ ही वादव्यय दिलाए जाने की याचना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने उत्तर पेश कर आवेदन के पद क्रमांक 1 लगायत 15 के समस्त कथनों को अस्वीकार लेख कर पेश किया है। पद क्रमांक 16 में उक्त वाहन शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बालाघाट के पास पॉलिसी क्रमांक 321602/31/14/6300009941 दिनांक 10.02.2015 से 09.02.2016 तक बीमित होना स्वीकार किया है। मृतिक की उम्र 19 वर्ष थी, वह हष्ट-पुष्ट था सुपरवाईजरी से 8000/-रु. मासिक अर्जित करता था स्वयं तथा आवेदकगण का पालन-पोषण करता था इंकार किया है। प्रशांत की मृत्यु होने से आवेदकगण असहाय हो गये इंकार किया है, अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 से दुर्घटना कारित करना इंकार किया है, ठोस मारकर गंभीर चोटें आना इंकार किया है, अनावेदक के विरुद्ध रिपोर्ट होना, अपराध पंजीबद्ध होना इंकार किया है, उक्त वाहन को अनावेदक क्रमांक 1 अनावेदक क्रमांक 2 की अनुमति से चला रहा था इंकार किया है। मानसिक वेदना इंकार किया है, वे सभी मदों में 14,00,000/-रु. प्राप्त करना के पात्र होना इंकार किया है, आवेदन पत्र के प्रार्थना खंड की सहायता इंकार किया

है। विशिष्ट कथन लेख किया है कि खुरमुंडी तिराहे के पास अनावेदक क्रमांक 1 उक्त टेक्टर को रिवर्स कर रहा था तब मृतक की लापरवाही के कारण वह पिछले चके/बड़े चके से ठोस लगने से चोट आने से मरा है। दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई है। अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध डायविंग लाईसेंस था। मृतक सुपरवाईजर के रूप में ठेकेदार के पास काम करता था इंकार किया है, आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पृथक उत्तर पेश कर उत्तर के पद क्रमांक 1 लगायत 6 की कंडिका को अस्वीकार किया है, दुर्घटना से इंकार किया है, मृतक की आयु 19 वर्ष होना इंकार किया है, 8000/-रु. प्रतिमाह आयु अर्जित करता था इंकार किया है, वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 से दुर्घटना होना इंकार किया है। आवेदकगण आश्रित थे, इंकार किया है। अनावेदक क्रमांक 1, अनावेदक क्रमांक 2 की अनुमति से दुर्घटना के समय वाहन चला रहा था इंकार किया है तथा विशिष्ट कथन लेख कर पद क्रमांक 18 लगायत 26 में धारा 134 मो.या.अधि. का पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है तथा धारा 158 उपधारा 6 मो.या.अधि. का पालन वाहन मालिक के द्वारा नहीं किया गया है। बीमा कंपनी को घटना बाबद कोई सूचना नहीं दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बीमा कंपनी को नहीं दी गई है। आवेदकगण मृतक प्रशांत पर आश्रित नहीं थे, आवेदकगण ने अना.क्र. 1 व 2 के साथ दुरभि संधि कर दावा पेश किया है, दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण हेतु अधोलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 20.06.2015 को सुबह करीब 9:00 बजे पुलिस थाना बैहर जिला बालाघाट क्षेत्रान्तर्गत बैहर परसवाड़ा मेन रोड पर खुरमुंडी तिराहा में अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.च. 35 जी. 3697 का उतावलेपन से चालन कर प्रशांत कुमार इवनाती को दुर्घटनाग्रस्त किया है ?	प्रमाणित
2-अ	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक क्रमांक 1 व 2 के पुत्र तथा आवेदक क्रमांक 3 व 4 के भाई प्रशांत कुमार इवनाती की मृत्यु कारित हुई?	प्रमाणित
2-ब	क्या आवेदकगण मृतक प्रशांत कुमार इवनाती पर आश्रित थे ?	प्रमाणित नहीं

3.	क्या मृत्यु के पूर्व मृतक प्रशांत कुमार इवनाती ठेकेदार के पास सुपरवाईजर का काम करके 8000/-रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता था ?	कंडिका 12 के अनुसार
4.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के वक्त अनावेदक क्र. 1 अथवा 2 ने बीमा पॉलिसी की शर्तों को भंग किया ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्त: तथा प्रथमतः दुर्घटना क्षतिपूर्ण 19,00,000/-रुपये प्राप्त करने के अधिकारी है ?	कंडिका 15 के अनुसार
6	अनुतोष एवं वाद व्यय ?	कंडिका 16 A,B,C,D के अनुसार

#### वादप्रश्न क्र.-1, 2 (अ) का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

6. श्यामलाल (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि 20.06.2015 को प्रशांत सुबह 9 बजे अपने घर से खुरमुंडी चौक जा रहा था तब तिराहे के पास अनावेदक क्रमांक 1 टेक्टर क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 को तेज गति लापरवाहीपूर्वक रिवर्स कर रहा था तभी प्रशांत को टेक्टर के बड़े चके में रिवर्स करते समय ठोस मार दी जिससे उसके सिर, मस्तिष्क व शरीर के अंधरूनी चोट आने के कारण खून से लतपत हो गया। तत्काल उपचार हेतु बैहर लाया जा रहा था, किंतु रास्ते में हर्षा नाला के पास उसकी मृत्यु हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में दिखाने पर प्रशांत को मृत घोषित कर दिया, वहाँ शव परीक्षण हुआ था।

7. इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 7 में साक्ष्य दी है कि थाना बैहर के अपराध क्रमांक 81/15 के अंतिम प्रतिवेदन की सत्यप्रति प्र.ए. 1, प्रथम सूचना प्र.ए. 2,, अपराध विवरण प्र.ए. 3, संपत्ति जप्ती पत्र प्र.ए. 4, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 5, वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 6, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए. 7, दुर्घटनाग्रस्त ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन बुक व इंश्योरेंस की छायाप्रति पेश की है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था।

8. रूपसिंह (आ.सा.2) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक 20.06.2015 को खेत तरफ सुबह 9 बजे जा रहा था तब खुरमुंडी चौक पहुंचा तो तिराहे के पास वाहन चालक नरेन्द्र ट्रेक्टर क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर रिवर्स कर रहा था तभी रिवर्स के दौरान ट्रेक्टर के बड़े चके में प्रशांत को ठोस मार दी जिससे प्रशांत इवनाती के सिर, मस्तिष्क व शरीर के अन्य भागों में चोट आयी, खून से लतपत हो गया, तत्काल ईलाज हेतु बैहर ले जाया जा रहा था तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो



गई। ट्रेक्टर चालक नरेन्द्र की लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर को रिवर्स करते समय छ टना साक्षी के समक्ष हुई। घटना के संबंध में साक्षी ने पुलिस को बताया था। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था।

9. उपरोक्त साक्ष्य और प्र.ए. 1 लगायत 7 के दस्तावेजों के अवलोकन से वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से प्रशांत कुमार की अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक रिवर्स गियर में चलाए जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु होना प्रमाणित है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 (अ) प्रमाणित** पाया जाता है।

**वादप्रश्न क्र.-2 (ब) एवं 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-**

10. श्यामलाल (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के अधीन मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति था। वह ठेकेदार के पास सुपरवाईजर का काम करता था जिससे 8000/-रु. प्रतिमाह आय अर्जित होती थी। अर्जित आय वह आवेदकगण को लाकर देता था जिससे आवेदकगण के खाने-पीने, रहने-उठने, बैठने पर राशि व्यय होती थी। आवेदकगण मृतक प्रशांत की आय पर आश्रित थे। असमय मृत्यु से आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 8 लगायत 10 में आश्रितता बाबद आयी साक्ष्य का खण्डन नहीं है।

11. रूपसिंह (आ.सा.2) की साक्ष्य में इन वादप्रश्नों के निराकरण बाबद कथन नहीं है। अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर **वादप्रश्न क्रमांक 2-ब प्रमाणित** पाया जाता है।

12. मृतक प्रशांत की आय 8000/-रुपए मासिक होने के संबंध में संबंधित ठेकेदार के कथन अधिकरण के समक्ष नहीं कराए गए इसलिए सुपरवाईजर के कार्य से मृतक की आय 8000/-रुपए प्रमाणित नहीं है, किंतु वह 19 वर्षीय नवयुवक था जो 200/-रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम दर से सप्तांत का अवकाश रखते हुए 25 दिन कार्य करता था मानते हुए 5000/-रुपए मासिक मजदूरी से आय अर्जित करता था, आंकलित की जाती है। आवेदक की संख्या 4 होने से वह नवयुवक अविवाहित था इसलिए 50 प्रतिशत राशि अपने आय की वह स्वयं पर करता था और 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 2500/-रुपया आवेदकगण पर व्यय करता था। प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर आवेदकगण की आश्रितता 2500/-रुपए मासिक आंकी जाती है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 3 निराकृत** किया जाता है।

**वादप्रश्न क्र.-4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:**

13. वादप्रश्न क्रमांक 4 को प्रमाणित करने हेतु अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने साक्षी क्रमांक 1 दिलीप बाथम सहायक गेड-3 जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट के कथन कराए हैं जिसके अनुसार साक्षी आज वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 की आर.सी. हिस्ट्री साथ लेकर आया है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र.एन.ए. 1 है, यह वाहन ट्रेक्टर है। नरेन्द्र पिता चैनसिंह उइके निवासी खुरमुण्डी के वाहन चालन अनुज्ञप्ति की हिस्ट्री साथ लेकर आया है, का डायविंग लाईसेंस क्रमांक एम.पी. 50 एन.-2011-0037620 है जिसकी वैधता दिनांक 27.04.2011 से 26.04.2031 तक है। लाईसेंस मोटरसायकल विथ गियर और लाईट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने जारी किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति प्र.एन.ए. 2 है जिसके ए से ए भाग पर परिवहन अधिकारी श्री अजय मार्को के हस्ताक्षर हैं। प्र.एन.ए. 2 का लाईसेंसधारी ट्रेक्टर चलाने सक्षम नहीं है।

14. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में साक्षी ने यह जानकारी न होना कथन किया है कि नॉन ट्रांसपोर्ट लाईसेंसधारी चालक लाईट मोटर व्हीकल जिसका वजन 7500 किलोग्राम का हो, चला सकता है। पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि प्र.एन.ए. 1 जो वाहन क्रमांक एम.एच. 35 जी. 3697 के ट्रेक्टर का वजन अनलोडेट वेट के रूप में 1755 किलोग्राम लेख है। ट्रेक्टर व्यावसायिक प्रयोजन का वाहन नहीं है, कृषि प्रयोजन का वाहन है इसलिए अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने बीमा शर्तों का भंग किया है प्रमाणित नहीं होता है। परिणामतः **वादप्रश्न क्रमांक 4 प्रमाणित नहीं है।**

**वादप्रश्न क्र.-5 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-**

15. वादप्रश्न क्रमांक 1, 2-अब, 2-ब, 3 व 4 का निराकरण अभिलेख पर उभयपक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कर निष्कर्ष लेख किए गए हैं। मृतक की आय 5000/-रुपए निर्धारित की गई है वह अविवाहित 19 वर्षीय युवक था इसलिए आय का 50 प्रतिशत भाग वह स्वयं पर व्यय करता था। न्यायिक सिद्धांत के आधार पर लेख किया जा रहा है इसलिए आवेदक की आश्रितता 2500/-रुपए प्रतिमाह की निर्धारित की जाती है। इस प्रकार  $2500 \times 12 \times 18 = 540000/-$ रुपए की आय की क्षति हुई है। अंतिम संस्कार के मद में 25000/-रुपए, आवेदक क्रमांक 1, आवेदक क्रमांक 2 माता को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 10,000/-रुपए, 10,000/- रुपए तथा आवेदक क्रमांक 3 व 4 भाई को भाई सुख से वंचित होने के कारण 5,000/-रुपए, 5,000/-रुपए इस प्रकार कुल  $(540000 + 25000 + 10000 + 10000 + 5000 + 5000) = 5,95,000/-$  रुपए

की क्षति होना पायी जाती है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 5** निराकृत किया जाता है।

**सहायता एवं वाद व्यय :-**

16. उक्त दुर्घटना दावा प्रकरण में निर्मित वादप्रश्न क्रमांक 1 से 5 का निराकरण प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 6 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्वावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 6 का निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

17. आवेदकगण को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल **595000/-** [पाँच लाख पंचानवे हजार रुपये] **अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी** से आवेदन दिनांक से राशि अदाएगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पाने के पात्र है।

{A} आवेदक क्रमांक 1 को प्राप्त होने वाली राशि  $(135000+25000+10000) = 170000/-$  रुपये में से 150000/- रुपये 5 वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे। शेष राशि 20000/- रुपये एवं ब्याज उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा जमा कराई जावे।

{B} आवेदक क्रमांक 2 को प्राप्त होने वाली राशि  $(135000+10000) = 145000/-$  रुपये में से 125000/- रुपये 5 वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे। शेष राशि 15000/- रुपये एवं ब्याज उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा जमा कराई जावे।

{C} आवेदक क्रमांक 3 को प्राप्त होने वाली राशि  $(135000+5000) = 140000/-$  रुपये में से 125000/- रुपये 5 वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे। शेष राशि 15000/- रुपये एवं ब्याज उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा जमा कराई जावे।

{D} आवेदक क्रमांक 4 अवयस्क को प्राप्त होने वाली राशि  $(135000+5000) = 140000/-$  रुपये 5 वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे।

{E} सभी आवेदकगण सावधि जमा राशि का त्रै-मासिक ब्याज प्राप्त करेंगे।

{F} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{G} अधिवक्ता शुल्क 1100/- रूपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही / —  
(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / —  
(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

### —:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अना. क.1,2	अना.क.3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20-00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	10-00	-	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00	30-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1140-00	1110-00	1140-00

Ture coup for for  
बीमा कंपनी

सही / —  
(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर